न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-357RAAJodhpur2024-212RTA225 Manaksingh Vs Anil Kumar etc

माणकसिंह पुत्र श्री कालूराम, जाति माली, निवासी- राईका बेरा, मगरा पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री माणकसिंह जाति माली, निवासी- राईका बेरा मगरा पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर।
02. तहसीलदार तहसील जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/358/2024 माणकसिंह बनाम अनिल कुमार भाटी इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री निरंजन पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/358/2024 अनवान माणकसिंह बनाम अनिल कुमार भाटी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 410/1 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नं. 414 रकबा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा ग्राम चैनपुरा के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 के जरिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किसी एक खातेदार द्वारा किसी के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। इस कानूनी बिंदु पर विचार किये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं प्रार्थना पत्र खण्डन नही किया गया तथा न ही उसके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया था, फिर भी अपीलांट के प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्यों को नही मानने का कोई कारण नहीं होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली अंतरिम स्थगन आदेश की बहस हेतु मुकर्रर थी। विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन पर आदेश पारित न कर संपूर्ण प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दिया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के मूल प्रार्थना पत्र को वाद के लंबित रहने तक स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के साथ वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या एक सहित अन्य सहखातेदार काबिज काश्त हैं। इसलिए अपीलांट को पाबंद किया जावे कि वे उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पावलली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी 2061-2064 ग्राम चैनपुरा तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 410/1 रकबा 2.10 बीघा सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें विमला पत्नी माणकसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट द्वारा उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जा रही है। वही प्रत्युतर में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने में अपीलांट को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक आपस में रिश्ते में पिता-पुत्र है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष को एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु उभय पक्ष के पक्ष में समान रूप से पाये जाते है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा भी अपीलांट को पाबंद किय जाने का निवेदन किया किया, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/358/2024 अनवान माणकसिंह बनाम अनिल कुमार भाटी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 को अपास्त किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात में मौके पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तथा अपने नाम दर्ज वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर